SNIS

### GOVERNMENT OF INDIA (भारत) सरकार) MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय) (RAILWAY BOARD)

\*\*\*

No.2017/TG-I/20/P/FT Quota

New Delhi, Dated: 24 .04.2018

The Principal Chief Commercial Managers, All Zonal Railways.

Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

Managing Director, IRCTC, 11<sup>th</sup> Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

(Addendum to Commercial Circular No. 54 of 2017)

Sub: Booking of reserved tickets by foreign tourists online.

Please refer to this office letter of even number dated 14.07.2017 (Commercial Circular No. 54 of 2017) on the subject quoted above forwarding therewith a detailed scheme for booking of reserved tickets by foreign tourists online upto 365 days in advance. Based on the feedback received, the scheme has been slightly modified. A revised scheme on this account is enclosed.

2. CRIS will make necessary modification in the software and inform the date of effect to all Zonal Railways as well as this office.

DA: As above.

(Shelly Srivastava) Director Passenger Marketing

Railway Board

#### Revised scheme for booking of reserved tickets by foreign tourists

- i. For booking the tickets the passport number, Nationality and the international Mobile no. of the passenger has to be mandatorily entered for generation of the ticket.
- ii. All tickets are booked on applicable fare and no concession is admissible
- iii. Payment is to be made only through international debit/credit cards. An SMS confirming the reservation of the ticket is sent to the registered mobile number
- iv. The fare is uniformly charged at 1.5 times the base fare by Indian Railways and IRCTC collects enhanced charges of ₹200/- per ticket.
- v. The passenger who has reserved the ticket under this category has to carry the original Passport (given at the time of booking ticket) with valid visa as identity proof and make it available for check during the journey. In case the passenger is not able to show the original Passport with valid visa, the passenger is treated as without ticket and charged penalty equivalent to 3 times the fare of the ticket and if passenger fails to pay the penalty, legal action will be taken against the passenger.
- vi. Foreign tourists are allowed to register their demand up to 365 days in advance till the train is made open for booking as per Advance Reservation Period (ARP). The limit up to which the demand of foreign tourists is registered is as under:
  - a. Eight berths per FAC
  - b. Four berths per FACCW
  - c. Eight berths per 2A coach
  - d. Ten seats per EC coach
- vii. The demand is registered for all types of trains. The status on the ticket will be "Confirmed". Coach/Seat/Berth Number will be allotted on the day of opening of reservation as per ARP except in case of First AC in which Coupe/Cabin is allotted at the time of preparation of first reservation charts.
- viii. As on the day of registering of requests, no train exists in the system, the composition of the train on that date is taken into account for allowing the number of berths/seats for which requests are registered e.g. beyond ARP, if there are 04 coaches of 2A in a train, then provision is made for registering 4x8 i.e. 32 passengers. In case on the day of opening of reservation as per

ARP, the number of coaches of that class varies, the number of berths/passengers allowed to be registered does not change.

- ix. If class itself doesn't exist once ARP opens, passengers will have to be manually allotted berths/seats in another class by database operators as is being done presently.
- x. The last request being registered is honoured even if the limit above has to be extended, however, beyond that no request is registered e.g. if the last request received is for 6 passengers and there is a scope for registering request for only 3 passengers, the above said limit is extended by 3 berths/seats to accommodate the last request. However, thereafter, no more transactions is allowed in that class beyond ARP.
- xi. In case of cancellation of the tickets booked under this facility by the passenger flat 50% of the fare is deducted in addition to the cancellation charges applicable while refunding the amount. The time limit for granting 50% refund is as per extant Refund rules i.e. upto 4 hours before scheduled departure of train for confirmed PNRs. Part confirmed/part waitlist will be given refund as per rule upto 30 minutes. This rule is applicable for e-tickets as well as counter tickets.
- xii. No change of name is permissible on such tickets under any condition.
- xiii. Authorised ticketing agents are not allowed to book accommodation under Foreign Tourist Quota.
- xiv. On the day of opening of reservation as per ARP, the accommodation will be released for general booking after accommodating of such request is registered.

### Foreign tourist quota within ARP

- a. This quota is defined by zonal railways based on demand pattern.
- b. Booking against this quota starts from the day of opening of reservation in the train as per ARP.
- c. Accommodation against this quota can be booked within ARP on payment of 1.5 times the base fare.
- d. For booking across the counter through FT Quota within ARP, payment is accepted through any type of mode i.e. Indian Currency/National/

International Credit/Debit cards. Foreign nationals booking berths under general quota can book ticket on normal fare.

- e. The accommodation under this quota is allowed to be booked up to the limit of foreign tourist quota defined by the Railways subject to the condition that the last party is accommodated in general quota if partial accommodation is available under foreign tourist quota. The fare for the entire party in such case is 1.5 times the base fare.
- f. If foreign tourist quota is exhausted, system will not automatically book in GN quota, the passenger has to explicitly book in General quota on payment of normal fare.
- g. No waiting list tickets are issued except in case the last request for foreign tourist quota is more than the quota and there is no accommodation available in general quota at the time of booking.
- h. The unutilised accommodation under foreign tourist quota is released to RAC/ waiting list passengers at the time of preparation of first reservation chart.

\*\*\*\*\*

### भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2017/टीजी-1/20/पी/एफटी कोटा

नई दिल्ली, दिनांक: 24.04.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें।

प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, 11वां तल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

(2017 के वाणिज्यिक परिपन्न सं.54 का परिशिष्ट)

विषय: विदेशी पर्यटकों द्वारा आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग।

कृपया उल्लिखित विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 14.07.2017 (2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 54) के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसके साथ विदेशी पर्यटकों द्वारा 365 दिन अग्रिम में आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग योजना का विस्तृत विवरण अग्रेषित किया गया है। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, इस योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं। इस संबंध में संशोधित योजना संलग्न है।

2. क्रिस सॉफ्टवेयर में आवश्यक आशोधन करेगा और सभी क्षेत्रीय रेलों और इस कार्यालय को इसे लागू करने की तारीख सूचित करेगा।

संलग्नक: यथोक्त

2lus

(शैली श्रीवास्तव) निदेशक यात्री विपणन रेलवे बोर्ड

## विदेशी पर्यटकों द्वारा आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए संशोधित योजना

- i. टिकटें बुक करने और जारी करने के लिए यात्री का पासपोर्ट नंबर, नागरिकता और अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है।
- ii. सभी टिकटें लागू किराए पर ही बुक होंगी और कोई रियायत स्वीकार्य नहीं होगी।
- iii. इनका भुगतान केवल अंतर्राष्ट्रीय डेबिट/क्रेडिट कार्डो द्वारा ही किया जाएगा। टिकट के आरक्षण को कन्फर्म करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा।
- iv. भारतीय रेलवे द्वारा किराया समानरूप से मूल किराए का 1.5 गुना वसूल किया जाएगा और आईआरसीटीसी 200/- रुपए प्रति टिकट का बढ़ा हुआ सेवा शुल्क वसूल करेगा।
- ए. इस श्रेणी में टिकट आरक्षित करने वाले यात्री को, पहचान साक्ष्य के रूप में वैध वीज़ा के साथ मूल पासपोर्ट (जो टिकट बुक करते समय दिया था) साथ रखना होगा और यात्रा के दौरान जांच के लिए दिखाना होगा। यदि यात्री वैध वीज़ा के साथ मूल पासपोर्ट दिखाने में असमर्थ होता है, तो यात्री को बिना टिकट समझा जाएगा और टिकट के किराए के तीन गुना के समतुल्य जुर्माना वसूल किया जाएगा और यदि यात्री जुर्माने का भुगतान नहीं करेगा, तो यात्री के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- vi. विदेशी पर्यटक यात्रा के 365 दिन पहले से अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) के अनुसार गाड़ी की बुकिंग खुलने तक अपनी मांग पंजीकृत करा सकते हैं। विदेशी पर्यटकों की मांग निम्नांकित सीमा तक पंजीकृत की जा सकती है:-
  - (क) 8 बर्थ प्रति एफएसी
  - (ख) 4 बर्थ प्रति एफएसीसीडब्ल्यू
  - (ग) 8 बर्थ प्रति 2ए कोच
  - (घ) 10 सीट प्रति ईसी कोच
- vii. सभी किस्म की गाड़ियों के लिए मांग पंजीकृत की जाती है। टिकट पर 'कन्फर्म्ड' स्थिति लिखी होगी। अग्रिम आरक्षण अवधि के अनुसार आरक्षण खुलने के दिन कोच/सीट/बर्थ नंबर आबंटित किया जाएगा, इसमें प्रथम एसी शामिल नहीं है क्योंकि इसमें कूपे/केबिन का आबंटन पहला आरक्षण चार्ट बनाने के समय किया जाता है।

- viii. चूंकि अनुरोध पंजीकरण के दिन, सिस्टम में कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए पंजीकृत किए गए अनुरोधों के लिए बथों/सीटों की संख्या का निर्धारण उस दिन गाड़ी की संरचना को ध्यान में रख कर किया जाएगा अर्थात अग्रिम आरक्षण अविध के बाहर, यदि गाड़ी में 2एसी के 04 सवारी डिब्बे हैं तो 4x8 अर्थात 32 यात्रियों के पंजीकरण का प्रावधान किया जाता है। यदि अग्रिम आरक्षण अविध के अनुसार आरक्षण खुलने के दिन उस श्रेणी में सवारी डिब्बों की संख्या घटती-बढ़ती है तो पंजीकृत किए जाने वाली बथों/यात्रियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- ix. यदि अग्रिम आरक्षण अविध खुलने के समय श्रेणी उपलब्ध न हो तो डाटाबेस ऑपरेटरों द्वारा यात्रियों को किसी अन्य श्रेणी में बर्थ/सीट का आबंटन मैन्युअली किया जाएगा, जैसा कि इस समय किया जा रहा है।
- x. अंतिम अनुरोध को दर्ज किया जाता है, चाहे इसके लिए निर्धारित सीमा को भी बढ़ाना पड़े। हालांकि इसके बाद किसी अनुरोध का पंजीकरण नहीं किया जाता है। अर्थात यदि अंतिम अनुरोध 6 यात्रियों की बुकिंग का है और इसके बाद केवल 3 यात्रियों को बुक करने की संभावना है तो अंतिम अनुरोध को एकोमोडेट करने के लिए निर्धारित सीमा 3 बर्थ/सीट के लिए बढ़ा दी जाएगी। हालांकि, अग्रिम आरक्षण अविध के बाहर इसके बाद उस श्रेणी में कोई और अनुरोध पंजीकृत करने की अनुमित नहीं होगी।
- xi. यात्री द्वारा इस सुविधा के तहत बुक की गई टिकटों के रद्दकरण के मामले में, रिफंड राशि वापस करते समय यथा लागू रद्दकरण प्रभारों के अलावा किराए का एकसमान रूप से 50% काट लिया जाएगा। 50% रिफंड देने की समय सीमा मौजूदा नियमों के अनुसार है अर्थात कन्फर्म्ड पीएनआर के लिए गाड़ी के तय प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक। आंशिक रूप से कन्फर्म्ड/आंशिक रूप से प्रतीक्षासूची टिकटों पर 30 मिनट के लिए नियम के अनुसार रिफंड दिया जाएगा। यह नियम ई-टिकटों के साथ-साथ काउंटर टिकटों पर भी लागू है।
- xii. इन टिकटों पर किसी भी स्थिति में नाम बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xiii. प्राधिकृत टिकटिंग एजेंटों को विदेशी पर्यटक कोटा के तहत एकोमोडेशन बुक करने की अनुमति नहीं है।
- xiv. अग्रिम आरक्षण अवधि के अनुसार आरक्षण खुलने के दिन, इस प्रकार के अनुरोध को एकोमोडेट करने के बाद एकोमोडेशन जनरल बुकिंग के लिए रिलीज़ किया जाएगा।

# अग्रिम आरक्षण अविध के भीतर विदेशी पर्यटक कोटा

- क इस कोटे को क्षेत्रीय रेलों द्वारा मांग पैटर्न के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- ख इस कोटे के तहत बुकिंग अग्रिम आरक्षण अवधि के अनुसार गाड़ी में आरक्षण खुलने के दिन से शुरू होती है।
- ग इस कोटे के तहत एकोमोडेशन को मूल किराए के 1.5 गुना किराए का भुगतान करने पर अग्रिम आरक्षण अवधि के भीतर बुक किया जा सकता है।
- घ अग्रिम आरक्षण अविध के भीतर विदेशी पर्यटक कोटा के जरिए काउंटर पर बुकिंग करने के लिए किसी भी माध्यम से भुगतान किया जा सकता है अर्थात भारतीय मुद्रा/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट कार्ड। विदेशी नागरिक सामान्य किराए पर जनरल कोटा के अंतर्गत टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं।
- इस कोटे के अंतर्गत एकोमोडेशन बुक करने की अनुमित केवल रेलवे द्वारा निर्धारित विदेशी पर्यटक कोटे की सीमा तक इस शर्त के अध्यधीन है कि विदेशी पर्यटक कोटे के तहत आंशिक रूप से एकोमोडेशन उपलब्ध हो तो अंतिम पार्टी को जनरल कोटे में एकोमोडेट किया जाएगा। इस मामले में पूरी पार्टी का किराया मूल किराए का 1.5 गुना होगा।
- च विदेशी पर्यटक कोटा समाप्त होने के बाद, सिस्टम स्वतः ही जनरल कोटे में टिकटों की बुकिंग नहीं करेगा। यात्री को सामान्य किराए का भुगतान करने पर ही जनरल कोटे में टिकट बुक करनी होगी।
- छ विदेशी पर्यटक कोटे के अंतर्गत टिकट बुक करते समय अंतिम अनुरोध में कोटे से अधिक यात्री होने और बुकिंग के समय जनरल कोटे में एकोमोडेशन उपलब्ध न होने के मामले को छोड़कर, किसी भी स्थिति में प्रतीक्षा सूची टिकटें जारी नहीं की जाएंगी।
- ज विदेशी पर्यटक कोटे के अंतर्गत अप्रयुक्त एकोमोडेशन को पहला आरक्षण चार्ट बनाते समय आरएसी/प्रतीक्षा-सूचीबद्ध यात्रियों को रिलीज़ कर दिया जाता है।